<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>23/11/2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय–I ने मेसर्स रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब लिमिटेड (आरटीएससीएल), मेसर्स सिट्रस चेक इन्स लिमिटेड (सीसीआईएल) तथा उनकी संबद्ध संस्थाओं द्वारा किए गए निवेश धोखाधड़ी के संबंध में जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कुल **556.72 करोड़ रुपये** (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

मुंबई के आर.ए.के. मार्ग पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई जांच में आरोप लगाया गया कि उक्त कंपनियों ने आकर्षक प्रतिफल एवं अवकाश संबंधी लाभ देने का वादा करके विभिन्न दीर्घकालिक हॉलिडे सदस्यता एवं निवेश योजनाओं के माध्यम से आम जनता से बड़ी मात्रा में धन एकत्र किया। जांच से संकेत मिला कि ये योजनाएं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से आवश्यक पंजीकरण प्राप्त किए बिना सामूहिक निवेश योजनाओं (कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स) के स्वरूप में संचालित की जा रही थीं।

ईडी द्वारा की गई जांच में पता चला कि आरटीएससीएल और सीसीआईएल ने 01.04.2008 से 31.03.2017 की अवधि के दौरान लगभग 8,852 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। इसमें से लगभग 3,430 करोड़ रुपये निवेशकों को वापस किए गए, 3,077 करोड़ रुपये एजेंटों को कमीशन के रूप में भुगतान किए गए तथा लगभग 1,723 करोड़ रुपये ऋण, अग्रिम एवं अन्य वित्तीय लेन–देन के माध्यम से संबद्ध एवं सहयोगी कंपनियों को हस्तांतरित किए गए। जांच में आगे पता चला कि नए निवेशकों से एकत्रित धन का उपयोग पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया गया, जो पोंजी–प्रकार की धन परिसंचरण व्यवस्था को दर्शाता है।



धनराशि को प्रवर्तक ओम प्रकाश गोयनका एवं उनके परिवार के सदस्यों के नियंत्रण वाली 87 से अधिक समूह कंपनियों, फर्मों एवं संबद्ध संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से हस्तांतरित किया गया और बाद में इसका उपयोग रियल एस्टेट, आतिथ्य एवं अन्य व्यवसायों में निवेश के लिए किया गया। कमीशन एजेंटों ने निवेशकों को जुटाने तथा योजनाओं में उनका नामांकन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कंपनियों एवं निवेशकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य किया और जुटाई गई धनराशि के संबंध में उन्हें भारी कमीशन का भुगतान किया गया।

वर्तमान अनंतिम कुर्की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही के क्रम में की गई है तथा इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।